

संगठित गिरोह के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 अदद अवैध तमन्चा 02 अदद जिंदा कारतूस व एक अदद नाजायज चाकू व झपटमारी के कुल 16123/- रुपये नगद व अन्य चोरी के सामान बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम उ.नि. प्रदीप कुमार, उ.नि. श्री संजय तिवारी व उ.नि. अमित सिंह, का0 हरेन्द्र गुप्ता, हे.का. महेन्द्र यादव व हे.का. राजेश व उ.नि. श्री सीताराम यादव, हे.का. बच्चे लाल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन व मु.अ.सं. 435/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में वांछित अभियुक्तगण की तलाश में आजमगढ़ तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि कि चार व्यक्ति जो शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनका एक संगठित अपराधियों का एक गिरोह है जो चोरी करने लोगों पर नाजायज असलहों से जान मारने की नियत से हमला करने के आदी व अभ्यस्त अपराधी हैं पूर्व में कई बार जेल जा चुके हैं जेल जाने के बाद हर बार जमानत पर रिहा होकर हमेशा कोई न कोई संगीन अपराध कारित करते हैं जो अभी हाल ही में जेल से छुटकर आये और दिनांक 17.12.2025 को रात्रि 12.00 बजे के आसपास रोडवेज बस डिपो में एक बस को एक कण्डक्टर बैक करवा रहा था जिसको दिवाल से कूदकर पीछे से झपट्टा मारकर उसका बैग लेकर पीछे कूद कर भाग गये थे कण्डक्टर का पैसों से भरा बैग आदि छिन लिये थे, वही लोग पुनः किसी घटना को अंजाम देने के वास्ते पावर हाउस मऊ के पास खण्डहर वाली जगह पर खड़े हैं। यदि जल्दी करे तो सभी लोग पकड़े जा सकते हैं साहब वे सब लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं सभी के पास नाजायज असलहा भी है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पावर हाउस मऊ के पास से चारों अभियुक्तगण 1. अभिषेक उर्फ कल्लू यादव पुत्र सुदर्शन यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बड़े गांव थाना रानीपुर जनपद मऊ, 2. ऋतिक राजभर पुत्र मारकण्डे राजभर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मूंजडाड़ थाना घोसी जनपद मऊ हालपता सहादतपुरा कालीचौरा रोडवेज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, 3. ओम भारद्वाज पुत्र हरिनाथ भारद्वाज उर्फ नाटे उम्र करीब 19 वर्ष निवासी छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, 4. दीपांशु उर्फ टेल्लू चौहान पुत्र साजन चौहान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को घेरकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभि0गण की जामा तलाशी व फर्द बरामदगी 02 अदद अवैध तमन्चा .315

बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व एक अदद नाजायज चाकू व झपटमारी के कुल 16123/- रुपये नगद , एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का टच स्क्रिन, एक अदद टिकट काटने की मशीन, परिचालक मार्ग पत्र, लगेज टिकट बुक, मैनुअल टिकट बुक उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम व एक अदद ब्राउन रेक्सिन का बैग सम्बंधित मु.अ.सं. 435/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ बरामद किया गया तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभि०गण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से कुल बरामदगी-

1. 02 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
2. एक अदद नाजायज चाकू व कुल 16123/- रुपये नगद ,
3. एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का टच स्क्रिन,
4. एक अदद टिकट काटने की मशीन,
5. परिचालक मार्ग पत्र,
6. लगेज टिकट बुक,
7. मैनुअल टिकट बुक उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम
8. एक अदद ब्राउन रेक्सिन का बैग

बरामदगी अभि०गण विवरणवार-

अभिषेक यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र सुदर्शन यादव नि० बड़ागांव थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष

1. 01 अदद देशी तमंचा नाजायज 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर
2. 01 अदद मोबाइल फोन बरंग बैगनी वीवो कम्पनी का टच स्क्रीन
3. उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम का पहचान पत्र संविदा कर्मचारी संतोष कुमार गौड़ पुत्र प्रभुनाथ राम गौड़ जन्मतिथि 06.03.1982 वैधता 31.12.2025 संविदा कण्डक्टर पंजीयन संख्या UP2S000072
4. बरामद रु 5160/- (पांच हजार एक सौ साठ रुपये)

ऋतिक राजभर पुत्र मारकण्डे राजभर नि० मूंजडाड़ थाना घोसी जनपद मऊ हालपता सहादतपुरा कालीचौरा रोडवेज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

1. 01 अदद देशी तमंचा नाजायज .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस

2. बरामद ₹ 3570/- (तीन हजार पांच सौ सत्तर रुपये)

**ओम भारद्वाज पुत्र हरिनाथ भारद्वाज उर्फ नाटे नि० छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा
थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष**

1. एक अदद चाकू नाजायज
2. बरामद ₹ 3570/- (तीन हजार पांच सौ सत्तर रुपये)

**दीपांशु उर्फ टेलू चौहान पुत्र साजन चौहान नि० छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा
थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष**

1. बरामद ₹ 3823/- (तीन हजार आठ सौ तेईस रुपये)

आपराधिक इतिहास:-

**अभिषेक यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र सुदर्शन यादव नि० बड़ागांव थाना रानीपुर जनपद मऊ
उम्र करीब 22 वर्ष**

1. मु०अ०सं० 435/25 धारा 340(2), 317(2), 111(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु०अ०सं० 437/25 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. मु०अ०सं० 32/25 धारा 109, 190, 191(2), 191(3), 303(2), 317(2) BNS व 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली
4. मु०अ०सं० 237/25 धारा 115(2), 351(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. मु०अ०सं० 78/24 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. मु०अ०सं० 80/24 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. मु०अ०सं० 81/24 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. मु०अ०सं० 336/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. मु०अ०सं० 519/24 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 BNS थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

**क्रतिक राजभर पुत्र मारकण्डे राजभर नि० मूंजडाड़ थाना घोसी जनपद मऊ हालपता
सहादतपुरा कालीचौरा रोडवेज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष**

1. मु०अ०सं० 435/25 धारा 340(2),317(2),111(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु०अ०सं० 438/25 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. मु०अ०सं० 78/24 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. मु०अ०सं० 80/24 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. मु०अ०सं० 81/24 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

**ओम भारद्वाज पुत्र हरिनाथ भारद्वाज उर्फ नाटे नि० छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा
थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष**

1. मु०अ०सं० 435/25 धारा 340(2),317(2),111(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु०अ०सं० 439/25 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. मु०अ०सं० 32/25 धारा 109,190,191(2),191(3),303(2),317(2) BNS व 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. मु०अ०सं० 336/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

**दीपांशु उर्फ टेलहू चौहान पुत्र साजन चौहान नि० छप्पनभोग के सामने शहीद गेट मुंशीपुरा
थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष**

1. मु०अ०सं० 435/25 धारा 340(2),317(2),111(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ०नि० प्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी सारहू थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ०नि० संजय तिवारी, चौकी प्रभारी संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ०नि० अमित सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

5. उ0नि0 सीताराम यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. हे0का0 महेन्द्र यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. हे0का0 राजेश थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. हे0का0 बच्चे लाल थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. का0 हरेन्द्र गुप्ता थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

25000 रुपये का इनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.12.2025 को वांछित / पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में प्रतिभाग कर सतत सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 202/2025 धारा 318(2), 319(2), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस व 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभय राज यादव पुत्र श्रीनाथ यादव जो दशवथपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही उम्र करीब 50 वर्ष को डाड़ी चट्टी से पहले थाना कोपागंज क्षेत्र जनपद मऊ से दिनांक 17.12.2025 को 17.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तगण के करीब 065 माह से फरार होने के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹ 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त अभय राज यादव पुत्र श्रीनाथ यादव जो दशवथपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही दिनांक 23.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पर डीसीएम वाहन नं. UP77 T 6846 से बरामद 15 प्लास्टिक लगे कार्टून व 09 बोरी से सिला हुआ कार्टून के अन्दर कुल 24 कार्टून में कुल 12 कुंतल 70.900 किग्रा गाँजा नाजायज के सम्बन्ध में पंजीकृत मु.अ.सं. 202/2025 धारा 318(2), 319(2), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस व 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा था तथा गाँजा तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम वाहन नं. UP77 T 6846 का पंजीकृत वाहन स्वामी था।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 17.12.2025

समय – 17.30 बजे

स्थान – डाड़ी चट्टी से पहले थाना कोपागंज क्षेत्र जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण –

1. मु.अ.सं. 202/2025 धारा 318(2)/319(2)/336(2)/338/340(2) बीएनएस व 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता विवरण –

1. अभय राज यादव पुत्र श्रीनाथ यादव जो दशवथपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण –

1. निरीक्षक अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उप निरीक्षक सरफराज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 नितिन यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 15,000/- रु0 कुल धनराशि (पन्द्रह हजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्राँड की गयी कुल धनराशि 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये, पीडिता रेनू सिंह निवासी राघोपट्टी मार्ग थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 15000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

25000 रुपये का इनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री

जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस नगर द्वारा दिनांक 18.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय मोड़ के पास से मु0अ0सं0 302/2024 धारा 366, 376, 23 भादवि में वांछित 25000 रुपये इनामिया अभियुक्त धूपचन्द राजभर पुत्र भगेलू राजभर निवासी भोपौरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. धूपचन्द राजभर पुत्र भगेलू राजभर निवासी भोपौरा थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 302/2024 धारा 366, 376, 23 भादवि

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. मैं उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना घोसी जनपद मऊ।
3. उ0नि0 रवि कुमार थाना घोसी जनपद मऊ।
4. का0 अनिल चौधरी थाना घोसी जनपद मऊ।
5. का0 अवनीश यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
6. का0 राकेश कुमार थाना घोसी जनपद मऊ।